## प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वूरभाष : 05962.230065, फैक्सः 05962.232182 ई—मेल almoraforestdivision@rediffmail.com पत्रांक 727 / 12-12 अल्मोड़ा दिनांक 9 - 8 - 2021

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय:-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या—441/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मझेड़ा कुमारती सौरे नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 5.00 कि0मी0) (0.630 है0) (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/22981/2016)

सन्दर्भ:-

EDS दिनांक 19.04.2021 |

महोदय,

उपरोक्त विषयक EDS दिनांक 19.04.2021 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा 4 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है, जिसका निराकरण प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन कर दिया गया है, जो निम्नवत है :-

क्र0	आपि्त्ति	निराकरण
सं0		\ \ \ \ \
1	The name of the competent authority (i.e. the person who signed the authority letter) not mentioned in the autority letter. Kindly mentioned the same as the name and designation of the competent authority is to be mentioned and seal is to be affixed as per the guidelines: also the scan of photostate authority letter is uploaded. Kindly upload the scan of original authority letter.	प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु आथराइटी लैटर में i.e. आथराइज आथराइटी के पद व नाम वाला आथराइटी लैटर तैयार कर मूल में पार्ट—। में स्कैन कर ऑनलाईन कर दिया गया है।
2	Area detail in village wise breakup not matched with area detail at other places.	ग्राम वाईज ब्रैकअप तैयार कर मिलान कर सम्पूर्ण डिटेल पार्ट-। में अंकित कर ऑनलाईन कर दी गयी है।
3	FRA certificate is not uploaded. Only VLC meeting proceeding and NOC found uploaded. Kindly upload FRA certificate along with SDLC/VLC proceeding letter and NOC as per the village wise breakup B 2.3.	वनाधिकार प्रमाण पत्र में ग्राम स्तरीय अनापित्त प्रमाण पत्र ग्राम वाईज तैयार कर S.L.D की अनापित्त व ग्राम वाईज डिटेल को पार्ट—। के B 2.3 में अंकित कर ऑनलाईन कर दी गयी है।
4	(0-10) and (10-20) cm girth tree detail not mentioned in the tree list uploaded. Kindly clarify.	मोटर मार्ग के समरेखण अन्तर्गत 0—10 व 10—20 व्यास के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं होते हैं।

भवदाय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।